कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

क्रमांकः– लेखा/2026–27/ 70 -74 दिनांकः– 10.06.2026

एस.आर.प्रारूप–14

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 01/2026–27

[राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का नियम–43(1) व (2) सपठित 43(5)]

(NIB No.DSC2627A0002..)

चूरू न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरू के उपयोग हेतु निम्नवत विगत की विषयवस्तु/सामान/मैटेरियल, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम–15 के अन्तर्गत खुली बोली प्रक्रिया से क्रय करने हेतु वि. निर्माताओं, प्राधिकृत वितरक एवं विक्रेता/प्राधिकृत स्टॉकिस्ट/प्राधिकृत व्यवहारी/प्राधिकृत सेवा केन्द्र तथा सद्भावी व्यवहारियों से जो वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से S.P.P.P. पोर्टल पर प्रकाशित होने, अथवा दिनांक 11.06.2026 से 18.06.2026 तक 1:00 पी.एम. तक बोली प्रपत्र विक्रय किये जाकर दिनांक 19.06.2026 को प्रातः 11:30 ए.एम. तक मोहरबन्द बोली RTPP एक्ट, 2012 एवं RTPP नियम, 2013 में निहित प्रावधान एवं G.F.&A.R. पार्ट–II के एस.आर. प्रारूप–16 की यथा उपान्तरित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैं, एवं प्राप्त बोलियाँ दिनांक 19.06.2026 को समय 12:30 पी.एम. पर जिला न्यायालय अथवा अध्यक्ष, उपापन समिति के अवकाशागार में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु का विवरण मय स्पेसिफिकेशन	मात्रा	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति (EMD) राशि 2%	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि	बोली विक्रय अवधि	बोली प्राप्ति दिनांक एवं समय अवधि	प्राप्त बोलियाँ खोलने की दिनांक व समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	विभिन्न फर्नीचर मदें (वुडन एवं स्टील) स्पेसिफिकेशन बोली प्रपत्र के अनुसार	बोली प्रपत्र में अंकित अनुसार	3,24,000/–	6,480/–	200/–	30 दिन	S.P.P.P. पोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा दिनांक 11.06.2026 से 18.06.2026 1:00 पीएम तक	दिनांक 19.06.2026 को प्रातः 11:30	दिनांक 19.062026 को 12:30 पीएम

आवश्यक शर्तें:–

1. बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी., ***जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू*** के नाम से/पक्ष में देय होगा।
2. बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, अध्यक्ष, क्रय समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू को रहेगा।
3. बोली से संबंधित विस्तृत शर्तें एवं विनिर्देश कार्य दिवसों में क्रेता के कार्यालय में तथा राज्य लोक उपापन पोर्टल https://www.sppp.rajasthan.gov.in (UBN No.) एवं विभागीय वेबसाइट https://churu.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती है।
4. बोली प्रपत्रों का विक्रय, वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध करवाने पर ही किया जायेगा तथा सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि को सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश पड़ने पर बोली पर बोली अगले कार्यदिवस को प्राप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार बोली खोलने की तिथि पर अवकाश घोषित हो जाने पर बोली अगले कार्यदिवस को तय समय पर खोली जायेगी।

अन्य शर्तें:–

1. बोलियाँ विहित बोली प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी, जिसे इस कार्यालय से बोली प्रपत्र शुल्क रूपये 200/– का चालान बजट हेड **0075–00–800–52–01** में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा । RTPP नियम 45 (1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर बोली दस्तावेज के साथ बोली प्रपत्र के शुल्क के चालान की रसीद संलग्न करनी होगी। उस राशि का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो बोलियाँ विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जायेंगी व अस्वीकार करने योग्य होंगी।
2. बोलियाँ मोहरबन्द लिफाफे मे, जिस पर स्पष्ट रूप से चूरू न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरू के उपयोग हेतु ***नवीन फर्नीचर क्रय*** " एवं "बोली आमंत्रण सूचना संख्या–01/2026–27" लिखा होगा, जो तय दिनांक एवं समय पर जिला न्यायालय, चूरू में पहुँच जानी चाहिए। रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित निविदा के विलम्ब के लिए निविदादाता फर्म ही उत्तरदायी रहेगी।
3. जो भी बोलियाँ विहित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होंगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।
4. सामान/सामग्री को संबंधित नवसृजित न्यायालय तक पहुंचाने का लगेज/परिवहन व्यय एवं इन्स. टॉलेशन चार्ज अलग से देय नहीं होगा।

Pinky

Anita CSV

5. माल की आपूर्ति अनुमोदित स्पेसिफिकेशन एवं मेक के अनुसार करनी होगी, अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. उपापन समिति द्वारा आईटम वाईज निर्णय लिया जायेगा, एवं दरें स्वीकृत होने के पश्चात् निविदा में उद्धृत मात्रा से कम या ज्यादा आईटम क्रय का अधिकार उपापन समिति के पास निहित रहेगा।
7. उद्धृत दर में GST व अन्य सभी प्रभार/शुल्क सम्मिलित होंगे तथापि अलग से देय नहीं होंगे।
8. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित नमूनों के अनुरूप आपूर्ति का, प्रभारी अधिकारी (स्टोर) के सत्यापन एवं संचालन के बाद ही ECS/NEFT पद्धति से भुगतान संबंधित नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरू के लेखा शीर्ष की विस्तृत इकाई–05 (कार्यालय व्यय) में बजट उपलब्धता के अध्यधीन फर्म के बैंक खाते में अंतरित किया जायेगा।
9. निविदत्त दरें, निविदा खोलने की तिथि से 90 दिन तक वैध रहेंगी।
10. बोली शर्तों के किसी भी प्रकार के संदेह अथवा मन्शा के संबंध में बोली प्रपत्र खरीदने/डालने से पूर्व कार्यालय समय में क्रय समिति से स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है।
11. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र चूरू ही होगा।
12. बोलीदाता फर्म का सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
13. बोली दस्तावेजों में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग रजिस्ट्रेशन प्रमाण, ब्लैकलिस्ट नही होने का शपथपत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

अध्यक्ष (उपापन समिति)
जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

कमांकः– लेखा/2026–27/ 70-74 **दिनांकः–** 10.06.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज.) को उनसे प्राप्त बजट आवंटन पत्र कमांक 1253–65 दिनांक 08.05.2026 के अनुसरण में।
2. सीनियर सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.) को उक्त बोली आमंत्रण सूचना विज्ञप्ति, बोली प्रपत्र एवं बोली शर्तें, राजस्थान लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट https://www.sppp.rajasthan.gov.in एवं जिला न्यायालय की विभागीय वेबसाइट https://churu.d-courts.gov.in पर अविलम्ब प्रकाशित कर पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।
3. जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.) के नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।
4. संबंधित नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरू।
5. नोटिस बोर्ड – कार्यालय जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी/नगर परिषद/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, चूरू (राज.)
6. ज्ञात फर्म मैसर्स
.....
.....

अध्यक्ष (उपापन समिति)
जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

Anita Ser Pinky

कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

क्रमांकः– लेखा/2026–27/

दिनांकः–

एस.आर.प्रारूप–15
[GF&AR Part-II का नियम–68(1)]

बोली प्रपत्र

[RTPP Act का नियम–36(2)]
बोली प्रपत्र शुल्क – 200/–

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 01/2026–27

1. **कार्य का नाम –** चूरू न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरू के उपयोग हेतु विभिन्न नवीन फर्नीचर मदों का उपापन
2. **बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम –**
3. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि 200/– चालान रसीद संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करवा दी गई है।
4. बोली प्रतिभूति (EMD) राशि जमा का बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... बैंक का नाम.....का संलग्न कर दिया गया है।
5. बोली में अंकित सामानों को अनुमानित मूल्य राशि रूपये है।
6. फर्म द्वारा आदेश प्राप्ति की दिनांक से 30 दिन की अवधि में माल की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
7. दरें दिनांक..... तक के लिए विधि मान्य हैं, इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
8. फर्म का आयकर/जीएसटी नं..... है।
9. क्रय किये जाने वाले आईटम संलग्न प्रपत्र के अनुसार हैं। आईटम के सामने फर्म द्वारा दरें अंकित की गई हैं, जिसमें समस्त कर/जीएसटी भी सम्मिलित है।
10. हम जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों विनिर्देश से बाध्य होना स्वीकार करते हैं, जिसको स्वीकार करने के प्रमाण में इनके सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

घोषणा–पत्र

[GF&AR Part-II का नियम–48(vii) व RTPP नियम 39(4)] एस.आर.प्रारूप–11

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू (राज.) का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा की गई है, उसके हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/विपणन एजेंट हैं। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैकलिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कारवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा, तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांकः–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
पूर्ण पता व टेलीफोन/मोबाईल नं.

Anita Pinku

कार्यालय– जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू

बोली दस्तावेज मूल्य 200/– रूपये
बोली प्राप्ति दिनांक 19.06.2026 को समय 11:30 ए.एम. तक
बोली खोलने की दिनांक 19.06.2026 को समय 12:30 पी.एम. पर

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 01/2026–27

बोली (निविदा) प्रपत्र (विशिष्टियाँ)

क्रम संख्या	आइटम व उनके Specifications का विवरण	क्रय किये जाने वाले आइटम की संख्या	निविदत्त दर प्रति नग (मय जीएसटी)	कुल राशि (रूपयों में)
1	Revolving Chair अधिकारी एरोमिड बैक, साइक्रो चेयर ब्लैक कलर standard size लम्बाई 21 इंच ,चौड़ाई 21 इंच ,ऊंचाई 48 इंच	01		
2	Visiting chair for PO Chamber ,stainless steel frame(गद्दीदार) Standard Size 52x52 cm x 100 cm height	04		
3	Table(For officer) Size 6x4 feet, शीशम लकड़ी पोलिश सहित, टॉप बोर्ड एवं सनमाईका सहित, दोनों तरफ ड्रावर, फ्रंट साइड बंद	01		
4	Sofa set शीशम लकड़ी/स्टेनलेस स्टील का Standard size 5 सीटर (3+ 1+ 1), उत्तम किस्म का कपडा फोम वाला, कुशन फोम, Density 32	01		
5	Centre Table (Size 3x2 feet) शीशम लकड़ी एवं टॉप ग्लास	01		
6	स्टूल शीशम लकड़ी की Standard size 1x1 feet, with Polish	04		
7	बुक रैक शीशम लकड़ी तीन सेल्फ पोलिश सहित 4x3x1.25 Feet, एक तरफ बंद	01		
8	Dias Chair (For Officer) शीशम लकड़ी Long Back 55x55 cm x Height 118 cm Back Seat	01		
9	Dias table (Court room) Size 6x4 feet, दो तरफ ड्रावर, शीशम लकड़ी, टॉप बोर्ड एवं सनमाईका पोलिश सहित	01		
10	टेबल बड़ी (For court room) Size 8x4 feet , शीशम लकड़ी, टॉप बोर्ड एवं सनमाईका पोलिश सहित	01		
11	कुर्सी हत्थेदार शीशम लकड़ी/स्टेनलेस स्टील, For staff and court room 52x52 cm height 100 cm	14		
12	टेबल शीशम लकड़ी टॉप बोर्ड एवं सनमाईका पोलिश सहित (For Staff) Size 4x2.5 feet, एवं एक साइड ड्रावर	04		
13	अलमारी स्टील बड़ी Size 6x3x1.5 feet, 20 गेज बॉडी, 5 सेल्फ पोलिश सहित	04		
14	रैक बड़ी	02		
15	स्टील की बेंच 5 सीटर एवं Back सहित (स्टील की उत्तम किस्म की)	01		
16	Compurter Table Size 3x2 Feet शीशम लकड़ी टॉप बोर्ड सनमाईका पॉलिश with One Drawer and Keyboard Stand	03		
17	Wall Clock For Office Use	02		
	TOTAL			

नोट:– 1. ओवरराईटिंग ना करे। कटिंग पर हस्ताक्षर करे।
2. समस्त मदों की दरें अंकों और शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक मद की बोली केवल एक ही दर अंकित करना आवश्यक है। अन्यथा स्थिति मे एक से अधिक दर अंकित होने पर केवल न्यूनतम दर ही स्वीकार्य होगी।
4. यदि आईटम किसी ब्रांड/Make से संबंधित होने पर, दर के समर्थन मे आईटम का मेक (Make) व ब्रोर्चर भी संलग्न किया जावे।
5. दर प्रस्ताव बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के अध्यधीन प्रस्तुत की गई है।

AAO-II

सिनियर सिस्टम ऑफिसर

CJM Churu

अध्यक्ष, क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू

हस्ताक्षर निविदादाता, बिडर/मोहर

बोली आमंत्रण सूचना संख्याः 01/2026–27

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की आवश्यक शर्तें

एस.आर.प्रारूप–16

[GF&AR पार्ट–II का नियम–68(3)]

[RTPP का नियम–36(3)]

1. बोली विहित प्रारूप–में प्रस्तुत की जाएगी। जिन्हें इस कार्यालय से 200/– रूपये चालान जमाकर प्राप्त किया जा सकता है। **RTPP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर बोली दस्तावेजों के बोली प्रपत्र के शुल्क के चालान की रसीद संलग्न करनी होगी।** यह राशि प्रतिदाय नहीं होगी।

2. बोली बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'चूरू न्यायक्षेत्र के नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरू के लिए नवीन फर्नीचर मदों का उपापन'** हेतु बोली एवं बोली आंमत्रण सूचना संख्या व दिनांक लिखा होना चाहिए।

3. **बोली दिनांक 19.06.2026 को समय प्रातः 11:30 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। बोली दिनांक 19.06.2026 को दोपहर 12:30 पीएम बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जाएगी।**

4. न्यूनतम दरों वाली बोली को स्वीकार करने के लिए कय समिति बाध्य नहीं होगी। तथा किसी भी बोली को या उस बोली के किसी भी भाग को बिना कारण बताएं रद्द किए जाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष (उपापन समिति) के पास सुरक्षित रहेगा।

5. विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त बोली पर विचार नही किया जाएगा।

6. निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग ईकाइयों के द्वारा मूल पंजीयन प्रति या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करने पर **उन सामानों के लिए, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, बोली प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि अनुमानित मूल्य का 0.5 प्रतिशत अथवा 1 प्रतिशत एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (एस.डी.) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत यथा समय प्रभावी ली जाएगी। तथा उपरोक्त से भिन्न फर्मो के लिए प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि अनुमानित मूल्य का 2 प्रतिशत एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (एस.डी.) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 5 प्रतिशत होगी।**

7. वर्णित सामान की आपूर्ति बोली स्वीकार करने/**कार्यादेश जारी करने की तिथि से 30 दिवस के अंदर** की जाएगी। उक्त अवधि में करार निष्पादित करने की अवधि भी शामिल होगी। विहित परिदत्त अवधि में बोलीदाता जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहेगा **सा.वि.ले.नियम भाग–II के नियम 58(3) के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान (एल.डी.) की वसूली/कटौती की जाएगी तथा संविदा शर्तो को भंग करने की स्थिति में आरटीपीपी नियम–2013 के नियम–42 (11) के अनुसार बोली प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि जब्त करने तथा नियम–73 (3) में प्रावधितानुसार** सफल बोली लगाने वालें के विरूद्ध आरटीपीपी अधिनियम–2012 या नियम–2013 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम या लाभप्रद बोली लगाने वाले को बोली स्वीकृति का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होगी।

8. **बोली का मूल्यांकन कसौटी हेतु उपापन समिति द्वारा सामग्री कय एवं मात्रा का निर्णय गुणवत्ता एवं स्पे. सिफिकेशन पूर्णता के आधार प्रत्येक आइटम वाइज वित्तीय परिणामों एवं नमूना परीक्षण पर आधारित होगा। उपापन समिति द्वारा सामग्री के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण उपरान्त कय बाबत निर्णय लिया जाएगा। भौतिक परीक्षण हेतु सामग्री 05 दिवस में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरू के न्यायालय परिसर में फर्म को स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध/प्रस्तुत करवाना होगा। अतएव दर मूल्यांकन का विश्लेषण प्रत्येक आइटम वाइज अलग–अलग किया जाएगा।** तथापि बोलीदाताओं से निविदत्त दर के समर्थन में उक्त फर्नीचर का मॉडल/नमूना उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है।

9. उपापन समिति द्वारा जिन मदों को भौतिक निरीक्षण एवं परीक्षण के दौरान वांछित स्पेसिफिकेशन एवं मॉडल के अनुरूप अनुमोदित नहीं किया जाएगा, बोलीदाता अनुमादित/स्वीकृत नही होने की सूचना प्राप्त होने पर 03 दिवस में उक्त नमूना मदों को स्वयं के खर्चे पर हटा लेगा। उसके पश्चात अस्वीकृत मदों की सुरक्षा/रख–रखाव/टूट–फूट की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। उपापन संस्था नमूना मदों को किसी भी रूप में लौटाने की व्यवस्था नही करेगी।

10. कय मदों का भौतिक परीक्षण प्रत्येक मद वाइज प्राप्त न्यूनतम वित्तीय दरों के अनुक्रम में यथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय लगातार क्रम में न्यूनतम दरदाता (L-1, L-2, L-3,.....) फर्मो से प्राथमिकता क्रम में किया जाएगा।

11. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सेम्पल मद का नाम, साईज, समुचित स्पेसिफिकेशन, मेक, वजन तथा बोलीदाता फर्म का पूर्ण पता मय दूरभाष संख्या तथा सेम्पल प्रस्तुत करने की दिनांक व आवश्यक विवरण इत्यादि मजबूत कागज पर लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर अथवा चिपकाकर, उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा ताकि समान/समकक्ष सेम्पल से अदला–बदली नहीं हो सके।

Anita Pinky

12. परीक्षण हेतु प्रस्तुत नमूना मद की किसी भी प्रकार की क्षति, टूट–फूट, जांच के दौरान किसी भी हानि के लिए उपापन संस्था उत्तरदायी नही होगी।

13. निर्धारित अवधि के समाप्ति के बाद भी यदि असफल बोलीदाता अनुमोदित नही किए गए अपने नमूना/सैम्पल प्राप्त नही करेगा अथवा नही हटायेगा तो उन्हें उपापन संस्था द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. **न्यूनतम दरदाता फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में नमूना/सेम्पल प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उसे असफल बोलीदाता घोषित किया जाकर अगले न्यूनतम दरदाता फर्म से नमूना/सेम्पल प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जा सकेगा। यह कम अगले न्यूनतम दरदाता फर्म से निरंतर अपनाया जाएगा।**

15. दर स्वीकृति बाद आपूर्ति आदेश के अनुसार संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म अनुमोदित सैम्पल के अनुरूप उपापन मदों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा तथा आपूर्ति मदों की उचित पैकिंग स्वयं के खर्च पर करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति/टूट–फूट नहीं हो तथा गन्तव्य स्थल पर उपापन संस्था को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। परिवहन के दौरान अथवा आपूर्ति प्राप्ति के समय किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, टूट–फूट या कमी होने पर, बोलीदाता फर्म उपापन संस्था को उन मदों की कमीपूर्ति/सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

16. यदि क्रय मदों की आपूर्ति उपापन संस्था की संतुष्टि के अनुसार नही की जाएगी तो संबंधित बोलीदाता (आपूर्तिकर्ता फर्म) को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उपापन संस्था प्रदाय हेतु संविदा को किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकेगी, जो आपूर्तिकर्ता फर्म पर बाध्यकारी होगी।

17. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 73 के अनुसार उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपापन नही करती है या बोली दस्तावेज में अंकित मात्रा से कम उपापन करती है तो बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नही होगा। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त मदों या परिणाम के लिए पुनरादेश किया जा सकेगा। पुनरादेश के लिए आपूर्ति अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश की मात्रा मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत तक होगी। यदि बोलीदात, ऐसी सप्लाई करने मे असमर्थ रहता है तो उपापन संस्था अवशेष सामान की सप्लाई काटेशन/सीमित बोली पद्धति या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगी तथा जो भी अति. रिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जायेगी।

18. सफल बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी भी विलेख(पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या व उसका वर्ष।
(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास, कार्यालय व वर्कशॉप का पता व टेलिफॉन/मोबाइल नंबर।
(iv) कंपनी के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार जारी किया गया प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

19. **बोली प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि 6,480/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू" के पक्ष में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में प्रस्तुत बोली स्वीकार करने योग्य नही होगी तथा बोली प्रतिभूति आरटीपीपी नियम–42(ii) के प्रावधानानुसार समपहृत (Forefeit) के दायित्वाधीन होगी।**

20. बोलीदाता को सामग्री की आपूर्ति **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर** अथवा **वांछित आपूर्ति स्टेशन** पर करनी होगी।

21. किसी भी प्रकार का लगने वाला कर, जी.एस.टी., शुल्क स्वयं बोलीदाता द्वारा देय होगा। **अतः दरें समस्त कर व शुल्क सहित ही प्रस्तुत करनी होंगी।** आवश्यक होने पर जी.एस.टी. व टी.डी.एस. की कटौती उपापन संस्था के स्तर पर की जाकर भुगतान किया जा सकेगा।

22. सामग्री की मात्रा घटाई या बढाई जा सकती है, अथवा किसी आईटम को क्रय करने/क्रय न करने के संबंध में क्रय समिति को पूर्ण अधिकार होगा।

23. बोली की विधि मान्यता अवधि आर.टी.पी.पी. एक्ट 2013 के नियम 48(1) के अनुसार **90 दिवस तक विधि मान्य रहेंगी**, किन्तु अपवादिक परिस्थिति में बोलीदाता की पारस्परिक सहमति से विधि मान्यता अवधि अभिवृद्धि की जा सकेगी, तथा बोली स्वीकृति के पश्चात् **अनुमोदित/स्वीकृत दर 31.03.27 तक मान्य होगी।**

24. सफल बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना की तिथि से सात दिवस में **आर.टी.पी.पी. नियम 70(7) सपठित 76(2)** के अनुसार अपेक्षित मूल्य रूपये 500/– के न्यायिक स्टाम्प पर **एस.आर. प्रारूप–17 में एककरार निष्पादित कर, कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि** जरिए ड्राफ्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के पक्ष में जमा करवाना होगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा। **उक्त अवधि आपूर्ति अवधि 30 दिवस में ही शामिल रहेगी।** सामग्री की सप्लाई संतोषजनक एवं नियत अवधि में नहीं होने की स्थिति में **जमा कार्य सम्पादन**

Anita Pinky

प्रतिभूति राशि जब्त करने के दायित्वधीन होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति सम्पूर्ण आपूर्ति बिना त्रुटिदायित्व के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात् दो माह में लौटाई जा सकेगी। GF&AR पार्ट–II नियम 57(5)(ख)(i)व(ii) सपठित RTPP अधिनियम धारा 46(4) के प्रावधानांतर्गत कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहृत (Forfeited) के दायित्वधीन होगी।

25. यदि बोलीदाता द्वारा किसी अन्य विभाग/कार्यालय में बोली में अंकित सामग्री का निष्पादन किया गया हो तो ऐसे विभाग/कार्यालय के नाम भी प्रस्तुत किये जावें।

26. सफल बोलीदाता को सफलतापूर्वक आपूर्ति निष्पादित उपरान्त संबंधित नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर के संबंधित बजट लेखाशीर्षक की विस्तृत इकाई 05–कार्यालय व्यय (नवीन आईटम) में उपलब्ध बजट प्रावधानों के अध्यधीन भुगतान ऑनलाईन व्यवस्था के माध्यम से बोलीदाता के खाते में अन्तरित किया जावेगा, जिसके लिए फर्म को पेन कार्ड व बैंक खाता संख्या उपलब्ध करवाना होगा। भुगतान पर नियमानुसार आयकर/टी.डी.एस. देय होगा।

27. **बोली स्याही या बॉलपेन या टंकण से भरी जावें। पेंसिल से भरी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा, ओवर राइटिंग/कटिंग नहीं करें। ओवर राइटिंग/कटिंग होने पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।**

28. सशर्त बोली प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य होगी। बोलीदाता यदि ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो बोली में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उसके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा।

29. आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं रूल्स 2013 व सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के समस्त प्रावधान उक्त कय पर यथा आवश्यक उपान्तरण सहित लागू एवं प्रभावी होंगे।

30. **बोलीदाता को जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा बोली के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन व आयकर रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बोली स्वीकार करने योग्य नही होगी।**

31. **सभी मदों की दरें डालना अनिवार्य है। प्रत्येक आइटम की एकल दरें ही मान्य होगी तथा एक से अधिक दर अंकित करने पर संबंधित आइटम की न्यूनतम दर ही स्वीकार की जाएगी। जो फर्नीचर आइटम किसी ब्रांण्ड/मैक से संबंधित होने पर, उसकी दर के साथ मैक अंकित कर ब्रोचर भी संलग्न किया जाए।**

32. **सा.वि.ले.नि. भाग–II के एसआर प्रारूप–16 एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2023 के संलग्नक (एनेक्सर ए से डी) की सम्पूर्ण शर्तें यथा उपान्तरित सहित उक्त उपापन पर प्रभावी रहेंगी।**

33. आरटीपीपी नियम–51 (2) के अनुसार बोली खोलने की तिथि को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में बोली अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

34. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय करने वाली मदों के स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही दरें उद्यत की गई हैं। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, साईज, मॉडल आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो व दर डालने व संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व केता अधिकारी/उपापन संस्था से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।

35. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–64 में प्रावधित प्रकियानुसार अंकगणितीय सुधार किया जा सकेगा।**

36. **अनुमोदित प्रदायकर्ता आपूर्ति आदेश के किसी भी भाग/मात्रा को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को नहीं सौंपेगा तथापि उप–भाड़े (सब–लेट) पर नहीं देगा।**

37. प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुऐं बोली में निर्धारित विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) के मानकीकृत (स्टेन्डर्ड) के अनुसार अति उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण (Best Quality and Description) के अनुसार होगी। **इस बाबत उपापन संस्था द्वारा किया गया निर्णय अंतिम एवं संबंधित बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।**

38. जिन मदों पर वारंटी/गारंटी खण्ड लागू होगा, उन मदों के लिए बोलीदाता इस आशय की गारंटी/वारंटी देगा कि गारंटी/वारंटी से संबंधित विषयवस्तु/सामग्री सुपुर्दगी की दिनांक से विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी। इस तथ्य के बाद भी उक्त मदों के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण पर उक्त विवरण एवं गुणवत्ता की नहीं होने पर उक्त मदों को उपापन समिति/उपापन संस्था को रद्द करने का हकदार होगा। रद्द की गई मदें सप्लायर/विकेता की जोखिम पर होगी, तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। सप्लायर को गारंटी/वारंटी अवधि में जब भी ऐसा करने के लिए कहा जायेगा, वह उस माल/सामग्री को बदलने अथवा दोष सुधार करने के लिए तत्पर रहेगा, अन्यथा

Anita Ram Pinky

बोलीदाता ऐसी हानि का भुगतान करेगा, जो इसमें दी गई गारंटी/वारंटी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी।

39. अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति (EMD)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) को नई बोलियों (निविदाओं) के लिए बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा तथापि यदि बोलियों को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति को उपयोग में लिया जा सकेगा।

40. परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्द की गई मदों/सामग्री के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जावेगी। कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्द किये गये सामानों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है, तो परिनिर्धारित क्षति के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध बोली कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत कार्यवाही कर वसूली की जायेगी।

41. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा, तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा मूल प्रति प्रस्तुत की जायेगी।

42. वित्तीय बोली खोलने के बाद आवश्यकता हुई तो RTPP नियम 69(2) के अनुसार न्यूनतम दरदाता से बातचीत (नेगोसिएशन) किया जा सकेगा। किन्तु नेगोसिएशन बोली लगाने वाले द्वारा मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी।

43. न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों से दरें असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में, बोली मूल्यांकन समिति न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों को एक लिखित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकगी और यदि वह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उपापन समिति बोली को अस्वीकार करने के साथ बोलियां पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है या वही प्रति प्रस्ताव दूसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले तथा अगले बोलीदाताओं को देकर, प्रदाय आदेश उस बोली लगाने वाले को अधिनिर्णित किया जा सकेगा, जो प्रति प्रस्ताव स्वीकार करेगा।

44. आपूर्ति जब भी प्राप्त की जायेगी, उनका निरीक्षण/परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे वांछित स्पेसिफिकेशन या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहां आवश्यक एवं व्यवहारिक होगा, परीक्षण उसके विषय विशेषज्ञ से करवाया जा सकेगा।

45. निरीक्षण एवं परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐं अनुमोदित नहीं की जायेंगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें निर्धारित अवधि में उसकी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।

46. जहां सरकार कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंतरिक रूप से प्रश्नांकित मदों को बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जायेगा, तो उपापन संस्था बोलीदाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेगा। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

47. बोलीदाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पक्ष का समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

48. उपापन समिति एवं उसका नामित प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर यथा आवश्यक होने पर प्रदायकर्ता के परिसर/वर्कशॉप में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जायेगा, सभी युक्तियुक्त समयों पर क्रय मदों की सामग्री एवं कर्मकौशल (Workmanship) का निरीक्षण एवं जांच करने की सम्पूर्ण शक्तियां होंगी।

49. RTPP नियम 51(2) के अनुसार बोली प्राप्त करने या खोलने की स्थिति को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने अथवा अंतिम तारीख कार्य दिवस नहीं होने की स्थिति में बोली अगले कार्यदिवस पर प्राप्त या खोली जायेगी।

50. **समस्त बोलीदाताओं को इन शर्तों व विनिर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना बोलीदाता पर बाध्यकारी है।**

51. **किसी भी प्रकार के विवाद के उत्पन्न होने पर न्यायक्षेत्र चूरू शहर होगा।**

सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म मोहर

अध्यक्ष (उपापन समिति)
जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

एस.आर.प्रारूप–17
करार (अनुबंध) पत्र
(GF&AR पार्ट–II का नियम–68)/[RTPP का नियम–76(2)]
(निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

बोली आमंत्रण सूचना संख्याः 01/2026–27

- 1. यह करार पत्र आज दिनांक माह..... सन्..... को **प्रथम पक्ष** (अनुमोदित सप्लायर) तथा राजस्थान राज्य सरकार की ओर से **जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू** के मध्य सम्पन्न किया हुआ समझा जायेगा।

- 2. **अनुमोदित सप्लायर** राजस्थान राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू द्वारा जारी खुली निविदा सूचना संख्या 01/2026–27 दिनांक के अनुक्रम में प्रस्तुत कार्य/सामान की निविदा के प्रतिफल में उक्त कार्यालय से प्राप्त कार्यालय/आपूर्ति आदेश क्रमांक दिनांक राशि अक्षरे में दी गई सभी वस्तुओं/सामानों की आपूर्ति निविदा एवं संविदा की शर्तों पर दिये गये तरीके/प्रक्रिया से सरकार को करने के लिए सहमत हो गया हूँ।

- 3. उक्त कार्यादेश/आपूर्ति आदेश की राशि के पेटे @ 5 प्रतिशत यथासमय प्रभावी दर से राशि की **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि** बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक से जमा करवाई जा चुकी है।

- 4. यदि अनुमोदिन सप्लायर कार्यादेश/आपूर्ति आदेश के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में कार्य/आपूर्ति करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाये रखेगा तो सरकार जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के माध्यम से राज्य सरकार की वित्तीय नीति निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माल प्रेषण की देय राशि का भुगतान करेगी या करवायेगी।

- 5. माल की सुपुर्दगी कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक तक **(तीस दिवस के अन्दर)** में प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जायेगी।

- 6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न सरकार की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे, जो अंतिम रूप से स्वीकार/मान्य होंगे।

निम्नांकित की साक्षी में दोनों पक्षकारों ने आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर किये।

प्रथम पक्षकार
(अनुमोदित सप्लायर का नाम व **मोहर**)

द्वितीय पक्षकार
(राज्यपाल की ओर से
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू)

दिनांकः–

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

साक्षी संख्या 2

Annexure – "A"

Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not srepresent or ot that sleads or attempts to slead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not suse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harng or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgression with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest –

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest. A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not lited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process.

e. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not lit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid, or

f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design of technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is propose to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date: Signature of bidder

Place: Name:

ANNEXURE –B

Declaration by Bidders regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitte: I to (ADJ DEEDWANA-KUCHAMAN) for procurement ofresponse to their Notice Inviting Bids No.....Dated..... I/We here by declare under section 7 of Rajasthan Tranparency in public procurement Act, 2012, that :-

1. I/We posses the necessary professional,technical ,financial and managerial resouces and competence required by the Bidding Document issued by the procuring entity.
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business actviities suspended and not the subject or legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have and our directors and officers not have been convicted of nay criminal offence related to my / our professional conduct of the making of false statements or misrepresentations as to my / our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurenment process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a confilict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition ;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure – "C"

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document including all its amendment till date.

Having perused the subject tender with, with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specification of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Conditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without and deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material hub concealed.

Date: Signature of bidder

Place: Name:

Annexure – "D"

STATEMENT OF PAST EXPERIENCE AND PERFORMANCE

We..... (Name of firm) do hereby undertake that we have perpormed work as per details given below:-

Calendar Year	Full address of Bidder with telephone	Order No & Date	Period of Completion of delivery		Certificate of Experience attached	Has the work catered satisfactory ?
			From	To		
1	2	3	4	5	6	7

Note:-

1- It shoud be sumbitted with technical Bid.
2- The relvant doucment is enclosed to verify the information and the document attached by me/us are correct and reliabe to the best of my knowage and in case of document and information found wroung our tender bid/contract shall be liable to be cancelled.

Date:-
Place:-Signature of bidder with Seal

Name-

Address-